

संख्या-पी-341/81-2-2022-800(338)/2022

प्रेषक,

आशीष तिवारी

सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,

क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, अलीगंज, लखनऊ।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 20 अक्टूबर 2022

विषय- जनपद मुजफ्फरनगर में नवीन घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0-334 ए) पुरकाजी-लक्सर मार्ग किमी0 0.00 से किमी0 15.089 के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 0.93 हे0 वनभूमि (0.33 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं 0.60 हे0 आरक्षित वनभूमि) के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित विभिन्न प्रजाति के 269 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/रोड/40150/2019)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-1286/11-सी/एफपी/यूपी/रोड/40150/2019 दिनांक 07.10.2022 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद मुजफ्फरनगर में नवीन घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0-334 ए) पुरकाजी-लक्सर मार्ग किमी0 0.00 से किमी0 15.089 के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 0.93 हे0 वनभूमि (0.33 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं 0.60 हे0 आरक्षित वनभूमि) के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित विभिन्न प्रजाति के 269 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति से सम्बन्धित प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत उपलब्ध कराया गया है।

2- अतएव विषयगत प्रस्ताव मूलरूप में (एक प्रति) संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि कृपया वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक - प्रस्ताव की मूल प्रति तथा पेनडाइव सहित।

भवदीय,

Signed by आशीष तिवारी

Date: 20-10-2022 14:29:05

(आशीष तिवारी)

सचिव।

Reason: Approved

संख्या एवं दिनांक तदेव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
2. वन संरक्षक सहारनपुर वृत्त सहारनपुर।
3. प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मुजफ्फरनगर।
4. अधिशासी अभियन्ता राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लोक निर्माण विभाग गाजियाबाद।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आशीष तिवारी)

सचिव।

**भाग-5**

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य अधिकारी को अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

जनपद मुजफ्फरनगर में नवीन घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग (एन 0 एच 0-334 ए) पुरकाजी-लक्सर मार्ग किमी 0 0.00 से किमी 0 15.089 के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 0.93 हे० वनभूमि (0.33 हे० संरक्षित वनभूमि एवं 0.60 हे० आरक्षित वनभूमि) के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित विभिन्न प्रजाति के 269 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/रोड/40150/2019)

राज्य सरकार की सिफारिशें – पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-पी-341/81-2-2022-800(338)/2022 दिनांक 20 अक्टूबर 2022 के द्वारा प्रस्तुत पर संस्तुति सहित अनुमोदनार्थ अग्रसारित।

(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकृत टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।

Signed by आशीष तिवारी

हस्ताक्षर

Date: 20-10-2022 14:29:33

Reason: Approved

( )

नाम और पदनाम सरकारी मोहर सहित

(आशीष तिवारी)

सचिव,

पर्यावरण, वन एवं जलवायु

परिवर्तन विभाग,

मुजफ्फरनगर।